प्रेस नोट दिनांक 21.12.2025

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत थाना बाघराय पुलिस द्वारा 1240 अवैध गांजा व गांजा विक्री के 140 रुपये के साथ 01 अभियुक्त अमित सिंह को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत चरही नहर पुलिया तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया-

जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में "ऑपरेशन प्रहार" प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सतत एवं कठोर कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी बाघराय श्री श्रवण कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 देवी दयाल कश्यप मय हमराह उ0नि0 अवधेश कुमार सिंह, का0 संदीप कुमार, का० सुधीर गौड़ व का0 सचिन ठेनुआ द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत चरही नहर पुलिया तिराहा के पास से 01 अभियुक्त अमित सिंह पुत्र स्व0 समर बहादुर सिंह निवासी ग्राम सराय बबुझ्न थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ उम्र 36 वर्ष के कब्जे से कुल 1240 ग्राम अवैध गांजा व गांजा विक्री के 140 रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से 1240 ग्राम अवैध गांजा व गांजा विक्री के 140 रुपये की बरामदगी के संबंध में थाना बाघराय में मु0अ0सं0 286/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. अमित सिंह पुत्र स्व0 समर बहादुर सिंह निवासी ग्राम सराय बबुझ्न थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ उम्र 36 वर्ष।

बरामदगी- कुल 1240 ग्राम अवैध गांजा व गांजा विक्री के 140 रुपये बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 देवी दयाल कश्यप मय हमराह उ0नि0 अवधेश कुमार सिंह, का0 संदीप कुमार, का० सुधीर गौड़ व का0 सचिन ठेनुआ थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

बयान-
जनपद प्रतापगढ़ में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं प्रसार की रोकथाम हेतु प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा निरंतर विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद को नशामुक्त वातावरण प्रदान करना तथा समाज, विशेषकर युवाओं, को इस गंभीर बुराई से सुरक्षित रखना है।

आमजन से अपील है कि यदि कहीं भी अवैध रूप से मादक पदार्थों का निर्माण, क्रय-विक्रय या तस्करी होती दिखाई दे, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर — 6307363107 पर दें। आपकी पहचान पूर्णत: गोपनीय रखी जाएगी।

थाना मांधाता, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना मांधाता पुलिस द्वारा दुष्कर्म व छेड़खानी के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी मान्धाता श्री अरविन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में निरीक्षक श्री सुधीर कुमार मय हमराह उ0नि0 अलंकार यादव, हे0का0 अखिलेश, हे0का0 शैलेन्द्र सिंह, का0 नवनीत कुमार, का0 हरिपाल, म0का0 पिंकी त्रिपाठी द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 323, 354, 506, 376डी भादवि0 थाना देल्हूपुर, प्रतापगढ़ से संबंधित 02 वांछित अभियुक्तों 01.सुनील कुमार पटेल पुत्र राधेश्याम पटेल, 02.सुरेन्द्र कुमार पटेल पुत्र राधेश्याम पटेल निवासीगण ग्राम द्विवैनी थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
01. सुनील कुमार पटेल पुत्र राधेश्याम पटेल निवासी ग्राम द्विवैनी थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 35 वर्ष।
02. सुरेन्द्र कुमार पटेल पुत्र राधेश्याम पटेल निवासी ग्राम द्विवैनी थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 32 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
निरीक्षक श्री सुधीर कुमार मय हमराह उ0नि0 अलंकार यादव, हे0का0 अखिलेश, हे0का0 शैलेन्द्र सिंह, का0 नवनीत कुमार, का0 हरिपाल, म0का0 पिंकी त्रिपाठी थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।

थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़

➡प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

➡थाना हथिगवां पुलिस द्वारा 04 जिन्दा देशी बम नाजायज के साथ अन्तर्जनपदीय 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

➡अन्तर्जनपदीय अभियुक्त कासिम अली पर जनपद कौशाम्बी, प्रतापगढ़ व फतेहपुर में चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, विस्फोटक अधिनियम जैसे गंभीर अपराध के 09 अभियोग पंजीकृत है-

➡अभियुक्त को थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत समसपुर हाइवे अन्डरपास के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी हथिगवां श्री सत्येन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 दिलीप कुमार वर्मा मय हमराह उ0नि0 रघुवीर दास रस्तोगी, का0 विपिन सारस्वत द्वारा देखभाल क्षेत्र संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत समसपुर हाइवे अन्डरपास के पास से 01 अभियुक्त कासिम अली पुत्र सत्तार अहमद निवासी ग्राम करसुआ थाना खागा जनपद फतेहपुर को 04 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया।

अन्तर्जनपदीय अभियुक्त के पास से 04 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज की बरामदगी के संबंध में थाना हथिगवां में मु0अ0सं0-257/2025 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. कासिम अली पुत्र सत्तार अहमद निवासी ग्राम करसुआ थाना खागा जनपद फतेहपुर उम्र करीब 21 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-
अन्तर्जनपदीय अभियुक्त कासिम अली पुत्र सत्तार अहमद निवासी ग्राम करसुआ थाना खागा जनपद फतेहपुर उम्र करीब 21 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-0328/2024 धारा 303(2), 317(2), 317(4), 317(5), 318(4) बीएनएस, थाना खागा, जनपद फतेहपुर।
2. मु0अ0सं0-0336/2024 धारा 303(2), 317(2), 317(4), 317(5) बीएनएस, थाना खागा, जनपद फतेहपुर।
3. मु0अ0सं0-0353/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 112 बीएनएस, थाना खागा, जनपद फतेहपुर।
4. मु0अ0सं0-0115/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना खागा, जनपद फतेहपुर।
5. मु0अ0सं0-0244/2024 धारा 309(4), 317(2), 317(4) बीएनएस, थाना मलवां, जनपद फतेहपुर।
6. मु0अ0सं0-0260/2024 धारा 316(2), 317(2), 317(4), 318(4) बीएनएस, थाना थरियांव, जनपद फतेहपुर।
7. मु0अ0सं0-0296/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 309(4), 317(2), 317(4), 317(5) बीएनएस, थाना करारी, जनपद कौशाम्बी।
8. मु0अ0सं0-0380/2024 धारा 304(2), 317(2), 317(4) बीएनएस, थाना कोखराज, जनपद कौशाम्बी।
9. मु0अ0सं0-257/2025 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- 04 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज।

पुलिस टीम का विवरण- उ0नि0 दिलीप कुमार वर्मा मय हमराह उ0नि0 रघुवीर दास रस्तोगी, का0 विपिन सारस्वत थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना लीलापुर के उ0नि0 इदरीश खान मय हमराह का० प्रवीण कुमार के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर केश न0 966/20 मु0अ0सं0 478/96 धारा 352/504 भादवि से संबंधित वारंटी अभियुक्त चन्द्रभान पुत्र जगदीश बहादुर सिंह नि० अजगरा थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01.चन्द्रभान पुत्र जगदीश बहादुर सिंह नि० अजगरा थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 इदरीश खान मय हमराह का० प्रवीण कुमार थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।